

कम्प्यूटर परिसर सं०- 2223047

पत्रांक/जी0एस0टी0/2022-23/रिफण्ड स्कूटनी/ आर-698/

353

राज्य कर

कार्यालय-आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0

(जी0एस0टी0 अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक 15, सितम्बर, 2022

समस्त,

एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-1,

एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-2, (वि0अनु0शा0),

राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:-UPGST Act की धारा 54 के अन्तर्गत पारित रिफण्ड आदेशों की स्कूटनी के सम्बन्ध में।

समविषयक संदर्भ में परिपत्र संख्या-2223022 दिनांक 11.07.2022 के प्रस्तर 03 में रुपया दो करोड़ से अधिक की धनराशि के स्वीकृत रिफण्ड आदेशों के मामलों को सम्बन्धित जोन के एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1 एवं एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) की लॉगिन पर स्कूटनी हेतु उपलब्ध कराते हुए स्कूटनी के परिणाम की प्रविष्टि सम्बन्धित मॉड्यूल में यथा स्थान अनिवार्य रूप से किए जाने के निर्देश दिए गए थे। रिफण्ड स्कूटनी के कार्य की प्रगति के अनुश्रवण पर पाया गया कि दिनांक 01.07.2017 से दिनांक 31.08.2022 तक रुपया दो करोड़ से अधिक के कुल 411 रिफण्ड आदेश पारित किए गए हैं जिनमें 38 मामलों में स्कूटनी की गयी है एवं 373 मामले पेंडिंग हैं जिसमें सर्वाधिक 233 मामले गौतमबुद्ध नगर जोन से सम्बन्धित हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1 एवं एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) गौतमबुद्ध नगर जोन की लॉगिन पर उपलब्ध सबसे अधिक रिफण्ड की धनराशि के 20 मामलों में दिनांक 30.09.2022 तक स्कूटनी की कार्यवाही तथा अन्य जोन के एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1 एवं एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) द्वारा अपने-अपने लॉगिन पर उपलब्ध समस्त मामलों में दिनांक 30.09.2022 तक स्कूटनी की कार्यवाही पूर्ण करते हुए सम्बन्धित मॉड्यूल में यथा स्थान वांछित प्रविष्टियाँ सुनिश्चित की जाए।

इस कार्य को प्रभावी रूप से सम्पन्न करने हेतु जोनल एडीशनल कमिशनर की अध्यक्षता में एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) तथा ज्वाइंट कमिशनर (कार्पोरेट) को सदस्य के रूप में रखकर एक कमेटी बनाकर त्वरित निस्तारण कराया जाए।

भवदीया,

(Signature) 15/9/2022
(मिनिस्त्री एस0)

आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।